भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-158

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता

†158. **श्री राजीव प्रताप रूडी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में विशेषकर सारण कमिश्नरेट में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत कितने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अंतर्गत बहुत कम छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो इस पहुंच में कमी के क्या कारण हैं;
(ग) क्या छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों में इस योजना के बारे में जागरूकता की कमी कम भागीदारी के प्राथमिक कारणों में से एक है और यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में छात्रों के लिए जागरूकता में सुधार लाने, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और योजना तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): पीएम विद्यालक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना दिनांक 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सभी छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें बिहार राज्य के छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट प्रदान

करती है। कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट नहीं पाने वाले एक लाख नए छात्रों को यह ब्याज छूट मिलेगी। यदि ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए नए आवेदकों की संख्या एक लाख से अधिक हो जाती है, तो समान अंतर-राज्यीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के आधार पर राज्यों में अखिल भारतीय स्लॉट वितरित किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि बिहार के लिए 10,302 स्लॉट हैं।

जागरूकता बढ़ाने हेतु योजना के दिशा-निर्देश पहले ही शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/PM_Vidyalaxmi_Scheme_Guidelines.pdf पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

भारतीय बैंक संघ से सभी सदस्य बैंकों को दिशा-निर्देश परिचालित करने का अनुरोध किया गया है। एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पोर्टल सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए है। इन सभी उपायों का उद्देश्य योजना के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और पात्र छात्रों, जिनमें ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के छात्र भी शामिल हैं, को पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाने में सहायता करना है।

****